

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक झुंझुनूं

क्रमांक:-जिशिअ/माध्य/झुं/सामान्य/2019/३२२-३३५

दिनांक:- २५/०६/१९

समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,
जिला झुंझुनूं

अति-आवश्यक

विषय— चाईल्ड लाइन 1098 की सूचना जिले की समस्त सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों के मुख्य द्वार पर लिखवाने एवं समस्त स्कूलों में चाईल्ड राइट कल्ब की स्थापन सुनिश्चित करने के क्रम में।

प्रसंग:- श्रीमान जिला समन्वयक चाईल्ड लाइन के पत्रांक:-ChildLine/JJN/ 2019/162 दिनांक 24.06.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि जिले में बच्चों के अधिकारों, उत्थान व उनकी सहायता के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से चाईल्ड लाइन 1098 का संचालन किया जा रहा है। चाईल्ड लाइन के बारे में प्रत्येक बच्चे को जानकारी हेतु सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों के मुख्य द्वार पर लिखा जाना अनिवार्य है। ताकि प्रत्येक बच्चे व आमजन को यह जानकारी हो कि बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की अनैतिक घटना घटित हो तो विभाग द्वारा संचालित चाईल्ड लाइन 1098 पर कॉल कर मदद ली जा सकें। जिले में बच्चों के साथ अनैक प्रकार की अनैतिक घटनाएँ घटित हो रही हैं लेकिन प्रशासन को शिकायते काफी कम मिल रही हैं।

अतः आपकों इस संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि अपने अधिनस्थ समस्त राजकीय/गैर राजकीय विद्यालयों में चाईल्ड राइट कल्ब के गठन कि सुनिश्चिता कर समस्त विद्यालयों को मुख्य द्वार पर चाईल्ड लाइन 1098 की सूचना अंकित करने हेतु पाबन्द करें एवं इस कार्यालय को सचित करें। उक्त के संबंध में किसी भी समय श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा औचक निरिक्षण किया जा सकता है। सूचना के अभाव में संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लायी जायेगी जिसके लिये आप व्यक्तिशः जिम्मेवार होंगें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

जिला शिक्षा अधिकारी

(मुख्यालय) माध्यमिक झुंझुनूं

दिनांक:- २५/०६/१९

क्रमांक:-जिशिअ/माध्य/झुं/सामान्य/2019/३२२-३३५

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ :-

1. श्रीमान जिला कलक्टर झुंझुनूं।
2. श्रीमान जिला समन्वयक चाईल्ड लाइन, झुंझुनूं।
3. समस्त संस्थाप्रधान राजकीय/गैर राजकीय विद्यालयों को प्रेषित कर पाबन्द किया जाता है कि तत्काल उक्त सूचना के संबंध में कार्यवाही कर संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को सूचित करें।
4. कार्यालय प्रति।

जिला शिक्षा अधिकारी

(मुख्यालय) माध्यमिक झुंझुनूं

CHILDLINE 1098 Jhunjhunu

Collaborative Organization:

SRKPS, 2/60, Housing Board, Jhunjhunu, Rajasthan- 333001

Tel - 01592-234255,234266

E- Mail: childlinejhunjhunu@gmail.com



Ref: ChildLine/JJN/2019/ 162

Date: 24.06.2019

श्रीमान रवि जैन,
जिला मजिस्ट्रेट,
झुंझुनूं।

विषय: चाइल्ड लाइन 1098 की सूचना जिले की समस्त सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों के मुख्य द्वार पर लिखाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयानुसार निवेदन है कि जिले में बच्चों के अधिकारों, उत्थान व उनकी सहायता के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से चाइल्ड लाइन 1098 का संचालन किया जा रहा है। चाइल्ड लाइन के बारे में प्रत्येक बच्चे को जानकारी हेतु सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों के मुख्य द्वार पर लिखा जाना अनिवार्य है ताकि प्रत्येक बच्चे व आमजन को यह जानकारी हो कि बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की अनैतिक घटना घटित हो तो विभाग द्वारा संचालित चाइल्ड लाइन 1098 पर कॉल कर मदद ली जा सके। जिले में बच्चों के साथ अनैक प्रकार की अनैतिक घटनाएँ घटित हो रही हैं लेकिन प्रशासन को शिकायते काफी कम मिल रही हैं।

अतः महोदय आपसे निवेदन है कि जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिले की समस्त सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों को निर्देशित करवाएं संलग्न प्रपत्र के अनुसार विद्यालयों के मुख्य द्वार पर चाइल्ड लाइन 1098 की सूचना प्रदर्शित करें।

धन्यवाद।

आपके सहयोग की अपेक्षा के साथ।

राजन चौधरी

निदेशक

चाइल्ड लाइन, झुंझुनूं

मो. 9414080218



विकास राहड़

जिला समन्वयक

चाइल्ड लाइन, झुंझुनूं

मो. 9636009863

For- CHILD LINE, JHUNJHUNU
COORDINATOR

मुस्तीबत में फंसे बच्चों की सहायता करने के लिए नि:शुल्क

प्रॉल फोन 1098



यदि बच्चा परेशान हो तो डॉपल करें “स... नी... आठ” 1098
आप चाईल्ड लाइन सेवा की सहायता गव्हर्ने सकते हैं, जब...

अनाथ बच्चे

परित्यक्त/ छोड़ गये बच्चे
शिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चे

बालश्रम में लिप्त बच्चे
नशे में लिप्त/ जुड़े बच्चे

मानसिक/ शारीरिक प्रताड़ित बच्चे
दुर्ब्यापार में लिप्त / धाकेले बच्चे
उपेक्षित बच्चे
बाल विवाह

- ❖ ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता की पृत्यु हो चुकी है तथा उन्हें पालने वाला कोई नहीं है।
- ❖ ऐसे बच्चे जिन्हें उनके माता-पिता द्वारा छोड़ दिया गया है तथा उन्हें अचित देखा-रेखा हो रही है।
- ❖ ऐसे बच्चे जो शीख मांगते हैं एवं उनके द्वारा शिक्षावृत्ति करवाई जाती है।
- ❖ ऐसे बच्चे जो गम्भीर दुर्ब्यापार तथा नशा प्रवृत्ति में लिप्त हैं या जिन्हें नशे की प्रवृत्ति में धाकेला गया है।
- ❖ ऐसे बच्चे जिन्हें किसी प्रकार के दुर्ब्यापार/ खरीद फरोख्ल/ लौंगिक दुर्घटयोग आदि कार्यों में लिप्त किया गया है या जबरन धाकेला गया है।
- ❖ ऐसे बच्चे जो अपने परिवार, समुदाय आदि में उपेक्षा के शिकार हैं।
- ❖ ऐसे बच्चे जिनका बाल - विवाह किया जा रहा है।

सहभागी संस्थान :

SRKPS

द्वारा संचालित कॉल सेन्टर चाईल्ड लाइन - 1098

2/60, हाऊसिंग बोर्ड, झुंझुनूं (राज.) Email: childlinejhunjhunu@gmail.com | website : www.srkps.org

सामाजिक कार्यकर्ता/पुलिस, 'चाईल्ड लाइन' को ग्राम शिशु/बालक/बालिका को 24 घण्टे के अन्तर बाल कल्याण समिति के सदस्य प्रत्युत किया जाना अनिवार्य है।

चाईल्ड लाइन एक 24 घण्टे चलने वाली मुफ्त आपातकालीन राष्ट्रीय फोन सेवा है जो बेघर, बेसहारा, जुमशुदा, शोषित व जनसभी बच्चों के लिए जिन्हें सुरक्षा व देखभाल की जरूरत है। राज्य सरकारों, और सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एजेंसियों तथा कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ भागीदारी में यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की परियोजना है एवं राजस्थान में इसका निभाग "सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग" है।

तिर्णास रनिये - उपरीकृत प्रकार की सूचना देने पर आपका नाम गुप्त रखा जाएगा।

चाईल्ड राईट्स क्लब गठन किये जाने में चरणबद्ध प्रक्रिया :-

क्र. सं.	जिला का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	विद्यालय का नाम	विद्यालय में बच्चों की संख्या			सहस्रील का नाम	ग्राम पंचायत	प्रधानाध्या पक का नाम पता	पी.टी. आई. का नाम	शहर मुख्यालय से विद्यालय की दूरी	विद्यालय में कुल क्लब संख्या	कल्प में बच्चों की संख्या
				बाल क	बालिका	कुल							

चिह्नित विद्यालयों में चाईल्ड राईट्स क्लब करने का प्रारूप—

—कार्यालय आदेशः—

राज्य सकरार ह्वारा राजस्थान बाल सहभागिता दिशा-निर्देश 2014 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बाल अधिकारिता विभाग के आदेश क्रमांक 23532 दिनांक 17.09.2014 की अनुपालना मेंजिले के पंचायत समिति.....के ग्राम पंचायत/शहर..... में संचालित राजकीय उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालय/गैर राजकीय विद्यालय का नाम..... में बच्चों में बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता प्रदान करने व बाल सहभागिता को बढ़ावा देने और उन्हे सामाजि मूल्यों से अवगत कराने तथा विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में समिलित कर उन्हे सशक्त बनाने हेतु प्राप्त निर्देशानुसार चाईल्ड राईट्स क्लब का गठन निम्नानुसार किया जाता हैः—

चाईल्ड राईट्स क्लब के प्रमाणी—

क्र.सं.	विद्यालय का नाम एवं पता	प्रिसिपल/प्रधानाध्यापक/पी.टी.आई का नाम	मोबाइल नम्बर	ईमेल	हस्ताक्षर

चाईल्ड राईट्स क्लब का विवरणः—

क्र.सं.	बच्चे का नाम	माता एवं पिता का नाम	पिता का सम्पर्क नम्बर	लिंग	बच्चे के निवास का पता	जन्म दिनांक	कक्षा

प्रिसिपल/प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर

नोटः— चाईल्ड राईट्स क्लब की स्थापना

- प्रत्येक राजकीय अथवा गैर राजकीय विद्यालय/छात्रावास/गृह में अध्ययनरत/आवासरत बच्चों की उम्र (5-7, 8-10, 11-14 वर्ष तथा 15-18 वर्ष) अथवा कक्षा (कक्षा 4-5, 6-8, 9-10, 11-12) के अनुसार उनके चाईल्ड राईट्स क्लब गठित किये जायेंगे। क्लब में अधिकतम 25 बच्चे होंगे।
- चाईल्ड राईट्स क्लब में बच्चों के चयन में किसी भी स्तर पर जाति, धर्म, लिंग तथा विकलांगता इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा।

चाइल्ड राइट्स क्लब

बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने, बाल सहभागिता को बढ़ावा देना, उन्हें सामाजिक मूल्यों से अवगत करने तथा विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में सम्मिलित कर उन्हें सशक्त बनाते हुए समाज में बदलाव के लिए चेन्जमेकर (प्रेरक) के रूप में तैयार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बाल सहभागिता कार्यक्रम, २०१४ लागू किया गया है।

बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए प्रत्येक स्तर पर उनके लिये भयमुक्त वातावरण में उनकी प्रभावी सहभागिता को प्रोत्साहन देने एवं विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य बाल सहभागिता कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। चाइल्ड राइट्स क्लब बच्चों की आवाज के रूप में कार्य करेगा।

क्लब का उद्देश्य:-

- ❖ बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना।
- ❖ बाल सहभागिता को बढ़ावा देना।
- ❖ उन्हें सामाजिक मूल्यों से अवगत करना।
- ❖ विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में सम्मिलित कर उन्हें सशक्त बनाना।
- ❖ इस के मउद्यम से समाज में बदलाव के लिए बच्चों को चेन्जमेकर (प्रेरक) के रूप में तैयार करना।

चाइल्ड राइट्स क्लब की स्थापना:-

- ❖ प्रत्येक राजकीय अथवा गैर राजकीय विद्यालय/छात्रावास/गृह में अध्ययनरत/आवासरत बच्चों की उम्र (५-७, ८-१०, ११-१४ वर्ष तथा १५-१८ वर्ष) अथवा कक्षा (कक्षा ४-५, ६-८, १-१०, ११-१२) के अनुसार उनके चाइल्ड राइट्स क्लब गठित किये जायेंगे। (क्लब में कुल २५ बच्चे उक्त आयु अनुसार होंगे।)
- ❖ चाइल्ड राइट्स क्लब में बच्चों के चयन में किसी भी स्तर पर जाति, धर्म, लिंग तथा विकलांगता इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा।
- ❖ ये चाइल्ड राइट्स क्लब वर्तमान में विद्यालय/छात्रावास/गृह में स्थापित बाल पंचायत, बाल समिति, बाल सभा, मीना मंच, बाल मंच तथा अन्य इसी तरह की कोई स्थापित व्यवस्था को समाहित करते हुए स्थापित किये जायेंगे।
- ❖ क्लब विद्यालय/छात्रावास/गृह में आवासरत अन्य बच्चों के साथ भी कार्य करेगा ताकि सभी बच्चे क्लब की गतिविधियों में सम्मिलित हो सकें।

क्लब में बच्चों द्वारा की जाने वाली गतिविधियाः-

- ❖ क्लब से जुड़े बच्चों की पहचान एवं परिचय व क्लब की गतिविधियों पर चर्चा करना।
- ❖ प्रत्येक शनिवार के अन्तिम सत्र में क्लब के बच्चों एवं अन्य बच्चों के साथ बाल संरक्षण एवं बाल अधिकार मुद्रों पर गतिविधियों एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करना।
- ❖ बच्चों से जुड़े महत्वपूर्ण दिवसों यथा- राष्ट्रीय बालिका दिवस (२४ जनवरी), विरच बालश्रम विरोधी दिवस (१२ जून), शिक्षक दिवस (५ सितम्बर), बाल दिवस (१४ नवम्बर), अन्तर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस (२० नवम्बर) सहित अन्य महत्वपूर्ण दिवस पर विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित करना।

PTD

- ❖ बच्चों को चाईल्ड रिपोर्टर के रूप में तैयार करना।

वलब का संचालन कौन करेगा:-

- ❖ प्रधानाध्यापक/सचिव/प्रभारी/अधीक्षक व अनुभवी स्कंयसेवी संस्था वलब के संचालक होंगे।

बाल सहभागिता कार्यक्रम संचालन/समीक्षा:- इन नियमों के तहत संस्थाओं में निम्न विभाग क्रियान्वयक अभिकरण के रूप में कार्य करेंगे:-

- ❖ राजकीय अथवा गैर राजकीय गृह - बाल अधिकारिता विभाग।
- ❖ राजकीय अथवा गैर राजकीय विद्यालय (आवासीय विद्यालय सहित) - स्कूल शिक्षा विभाग।
- ❖ राजकीय अथवा गैर राजकीय छात्रावास - स्कूल शिक्षा विभाग/जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/ अल्पसंख्यक मामलात विभाग।
- ❖ समुदाय स्तर पर बाल सहभागिता गतिविधियाँ - ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।

विद्यालय स्तर पर होने वाले कार्य:-

राज्य के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में विनिष्ठ विद्यालयों में निम्न प्रारूप अनुसार चाईल्ड राईट्स वलब का गठन किये जाने का प्रावधान है, जो निम्नानुसार है:-

-:कार्यालय आदेश:-

राज्य सकार द्वारा राजस्थान बाल सहभागिता दिया-गिरेंश 2014 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बाल अधिकारिता विभाग के आदेश क्रमांक २३५३२ दिनांक १५.०८.२०१४ की अनुपालना में जिले के पंचायत समिति..... के ग्राम पंचायत/राहट..... में संचालित राजकीय उच्च प्राथमिक/ माध्यमिक/उच्च प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालय/गैर राजकीय विद्यालय का नाम..... में बच्चों में बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता प्रदान करने व बाल सहभागिता को बढ़ावा देने और उन्हे सामाजि मूल्यों से अवगत कराने तथा विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में सम्मिलित कर उन्हे सराकर बनाने हेतु प्राप्त गिरेंशानुसार चाईल्ड राईट्स वलब का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

चाईल्ड राईट्स वलब के प्रभारी विवरण:-

क.स.	विद्यालय का नाम एवं पता	प्रिसिपल/प्रधानाध्यापक/पी.टी.आई का नाम	मोबाईल नम्बर	ईमेल	हस्ताक्षर

चाईल्ड राईट्स वलब का विवरण:-

क.स.	बच्चे का नाम	माता एवं पिता का नाम	पिता का सम्पर्क नम्बर	लिंग	बच्चे के निवास का पता	जन्म दिनांक	कक्षा

मुमांड ३४८

दिनांक :- 16.11.15

प्रिसिपल/प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर

गोट:- वलब में विद्यालय के लमता अनुसार कुल २५ बच्चे हो सकते हैं। इन्हें जाती है और उन्हें अधिकारी द्वारा उनकी क्रियाकलाप में अप्रूढ़ प्रभाव है। ३१ दिसेंबर २०१४ से ३१ दिसेंबर २०१५ के अंदर उनकी क्रियाकलाप में अप्रूढ़ प्रभाव है।

लमता

११
सर्वोच्च प्रधानों को लिखी गयी।

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, वीकानेर

३६८८
16.11.15

परिपत्र

राजस्थान सरकार 'हास' बाल अधिकारों एवं बाल संरक्षण के सम्बन्ध में बाल अधिकारिता विभाग द्वारा ०-१८ वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण के तहत बाल शोषण, बाल विद्याह, बालश्रम की रोकथाम के सम्बन्ध में जागरूकता लाने हेतु राज्य के राजकीय, गैर राजकीय विद्यालयों में 'राजस्थान बाल सहमागिता दिशा-निर्देश 2014' के तहत साइर्टी राइट्स कल्याण गठन करके बच्चों को उत्तमता के अंतिम दिन सामिनार के अंतिम छात्र में उच्च सुदृढ़ों पर बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण से जुड़ी जागृति फिल्मों, क्रियाएँ, घटेली, ध्येनु, इत्यादि प्रतियोगिताओं के माध्यम से एकसमय सानकरु बच्चों में बाल अधिकार एवं बाल शोषण के सुनिश्चित जागरूक करें, ताकि बच्चा स्वयं अपने अधिकारों के विपरित कोई भत्तिविधि हो तो अपने अभिभावक/ज्ञानापूर्वक/रास्कार/यात्रा अधिकारिता विभाग को यथा सरकार ने अपने अधिकारी अपने अधीनस्थ सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों में उच्च कार्यक्रम करवाया जाना सुनिश्चित करें, जाथ ही प्रत्येक शाला में साइर्टी राइट्स वलब का गठन गयी जिन्होंने जावें।

(म/र)

उपनिदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
वीकानेर

क्रमांक:-सिविरा/माध्यम/मा-स/बाल रोकथान/2014-15 दिनांक २२-०६-२०१५

मैंने यह निम्नलिखित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हूँ-

1. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार जगपुर।
2. उप शासन सचिव, शिक्षा (पुण-१) विभाग, शासन सचिवालय, जगपुर।
3. समस्त उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय)
5. रक्षित पत्रावली



दिनांक
११/११/१५

प्रधान
निदेशक
माध्यमिक
शिक्षा
प्रधान
माध्यमिक
शिक्षा
प्रधान
माध्यमिक
शिक्षा

प्रधान
माध्यमिक
शिक्षा
प्रधान
माध्यमिक
शिक्षा

(म/र)
उपनिदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
वीकानेर

(म/र)
प्रधान
माध्यमिक
शिक्षा



कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा झुंझुनू

क्रमांक:-जिशिअ/मु/प्रारं/झुं/शै.प्र./2019/५३८
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,
समस्त, जिला झुंझुनू

दिनांक:-८.७.२०१९

अति-आवश्यक

विषय:- चाईल्ड राईट्स क्लब के गठन बाबत।

प्रसंग:-श्रीमान जिला समन्वयक चाईल्ड लाइन के पत्रांक ChildLine/JJN/2019/162
दिनांक 24.06.2019

उपर्युक्त विषय एवं प्रासांगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि जिले में बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने, बाल सहभागिता को बढ़ावा देने, उन्हे सामाजिक मूल्यों से अवगत कराने तथा विभिन्न सामाजिक गतिविधियों से सम्मिलित कर उन्हे सशक्त बनाते हुए समाज में बदलाव के लिए चेन्जमेकर (प्रेरक) के रूप में तैयार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बाल सहभागिता कार्यक्रम, 2014 लागू किया गया है। बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए प्रत्येक स्तर पर उनके लिये भयमुक्त वातावरण में उनकी प्रभावी सहभागिता को प्रोत्साहन देने एवं विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य बाल सहभागिता कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में चाईल्ड राईट क्लब का गठन किया जाना अनिवार्य है। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के निर्देशानुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ समस्त राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों में चाईल्ड राईट क्लब का गठन को सुनिश्चित करते हुए सलंगन प्रपत्रानुसार प्रावि/उप्रावि की संकलित सूचना 07 दिवस में इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करे।

प्रपत्र-1 (कार्यालय आदेश) समस्त विद्यालयों से प्रपत्र संकलित कर अपने कार्यालय में सुरक्षित रखे।

प्रपत्र-2 में राजकीय विद्यालयों (प्रावि/उप्रावि) की संमेकित विवरण 07 दिवस में इस कार्यालय को सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में भिजवाना सुनिश्चित करे।

(पितराम सिंह)

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय प्रा.शि., झुंझुनू


दिनांक:-

क्रमांक:-जिशिअ/मु/प्रारं/झुं/शै.प्र./2019/


प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ -

1. श्रीमान् जिला कलक्टर, झुंझुनू।
2. समस्त पंचायत प्रा.शिक्षा अधिकारी को प्रेषित कर पाबन्द किया जाता है कि अपने अधीनस्थ राजकीय प्रावि/उप्रावि की सूचना तत्काल संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करे।

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय प्रा.शि., झुंझुनू



कार्यालय



प्रपत्र-1

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार द्वारा बाल सहभागिता दिशा-निर्देश 2014 में प्रभावी कियान्वयन हेतु बाल अधिकारिता विभाग के आदेश कमांक 23532 दिनांक 17.09.2014 की अनुपालना में जिले में पंचायत समिति के ग्राम पंचायत/शहर में संचालित राजकीय प्रावि/उप्रावि/मावि/उमावि/गैर राजकीय विद्यालय का नाम..... में बच्चों में बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता प्रदान करने व बाल सहभागिता को बढ़ावा देने और उन्हे सामाजि मूल्यों से अवगत कराने तथा विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में सम्मिलित कर उन्हे सशक्त बनाने हेतु प्राप्त निर्देशानुसार चाईल्ड राईट्स क्लब का गठन निम्नानुसार किया जाता है –

चाईल्ड राईट्स क्लब के प्रभारी –

क्र. स.	विद्यालय का नाम एवं पता	प्रिसिंपल/प्रधानाध्यापक/पीटीआई/प्रभारी का नाम	मो.न.	ईमेल	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6

चाईल्ड राईट्स क्लब का विवरण –

क्र.स.	बच्चों का नाम	माता व पिता का नाम	पिता का सम्पर्क नम्बर	लिंग	बच्चों के निवास का पता	जन्म दिनांक	कक्षा
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रपत्र-2

क्र. स.	जिले का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	विद्यालय का नाम	विद्यालय में बच्चों की संख्या			तह. का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	प्रधानाध्यापक का नाम, पता व मो.न.	प्रभारी का नाम व मो.न.	शहर मुख्यालय से विद्यालय को दूरी	विद्यालय में कुल क्लब संख्या	क्लब में बच्चों की संख्या
				बालक	बालिका	कुल							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

चाइल्ड राईट्स क्लब गठन किये जाने में चरणबद्ध प्रक्रिया :-

क्र. नं.	जिला का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	विद्यालय का नाम	विवरण			प्रमो. आई. वा. नाम	शहर मुख्यालय से विद्यालय की दूरी	विद्यालय में कुल छात्र छात्राएँ	कल्प में बच्चों की संख्या
				विद्यालय में बच्चों की संख्या	संपर्क का नामिका	कुल				

निहित विद्यालयों में चाइल्ड राईट्स गलव करने का प्रारूप-

-कार्यालय आदेश:-

राज्य सकारात्मक राज्य संसद विद्यालय विद्यालय विद्यालय के अदेश क्रमांक 23532 दिनांक 17.09.2014 की अनुपालना में जिले के पंचायत समिति के ग्राम पंचायत/शहर में संचालित राजकीय उच्च जागरूकता प्रदान करने वाल सलाहिता वो बड़ा देने और उन्हे सामाजिक मूल्यों से अवगत करने तथा विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में सम्मिलित कर उन्हे साशक्त बनाने हेतु प्राप्त निर्देशानुसार चाइल्ड राईट्स गलव का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

चाइल्ड राईट्स गलव के प्रारूप:-

क्र. सं.	विद्यालय का नाम एवं पता	प्रिसिपल/प्रधानाध्यापक/प्रोटोआई का नाम	मोबाइल नम्बर	ईमेल	हस्ताक्षर

चाइल्ड राईट्स गलव का विवरण:-

क्र. सं.	बच्चे का नाम	माता पिता का नाम	मिता का सम्पर्क नम्बर	लिंग	बच्चे के निवास का पता	जन्म दिनांक	कक्षा

प्रिसिपल/प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर

नोट:- चाइल्ड राईट्स गलव की स्थापना

- प्रत्येक राजकीय अथवा गैर राजकीय विद्यालय/छात्रावास/गृह में अध्ययनरत/आवारारत बच्चों की उम्र (5-7, 8-10, 11-14 वर्ष तथा 15-18 वर्ष) अथवा कक्षा (कक्षा 4-5, 6-8, 9-10, 11-12) के अनुसार उनके चाइल्ड राईट्स गलव किये जायेंगे। गलव में अधिकतम 25 बच्चे होंगे।
- चाइल्ड राईट्स गलव में बच्चों के चयन में किसी भी स्तर पर जाति, धर्म, लिंग तथा विकलांगता इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा।

बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने, बाल सहभागिता को बढ़ावा देना, उन्हें सामाजिक मूल्यों से अवगत करने तथा विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में सम्मिलित कर उन्हें सशक्त बनाते हुए समाज में बदलाव के लिए चेन्जमेकर (प्रेटक) के रूप में तैयार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बाल सहभागिता कार्यक्रम, २०१४ लागू किया गया है।

बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए प्रत्येक स्तर पर उनके लिये अत्यमुक्त वातावरण में उनकी प्रभावी सहभागिता को प्रोत्साहन देने एवं विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में उनकी आरीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य बाल सहभागिता कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। चाइल्ड राफ्टस व्हेब बच्चों की आवाज के रूप में कार्य करेगा।

व्हेब का उद्देश्य:-

- ❖ बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना।
- ❖ बाल सहभागिता को बढ़ावा देना।
- ❖ उन्हें सामाजिक मूल्यों से अवगत करना।
- ❖ विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में सम्मिलित कर उन्हें सशक्त बनाना।
- ❖ इस के माध्यम से समाज में बदलाव के लिए बच्चों को चेन्जमेकर (प्रेटक) के रूप में तैयार करना।

चाइल्ड राफ्टस व्हेब की स्थापना:-

- ❖ प्रत्येक राजकीय अयवा गैरि राजकीय विद्यालय/छात्रावास/गृह में अध्ययनरत/आवासरत बच्चों की उम्र (५-७, ८-१०, ११-१४ वर्ष तथा १५-१८ वर्ष) अयवा कक्षा (कक्षा ४-५, ६-८, ९-१०, ११-१२) के अनुसार उनके चाइल्ड राफ्टस व्हेब गठित किये जायेंगे। (व्हेब में कुल २५ बच्चे उक्त आयु अनुसार होंगे।)
- ❖ चाइल्ड राफ्टस व्हेब में बच्चों के चयन में किसी भी स्तर पर जाति, धर्म, लिंग तथा विकलांगता इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा।
- ❖ ये चाइल्ड राफ्टस व्हेब वर्तमान में विद्यालय/छात्रावास/गृह में स्थापित बाल पंचायत, बाल समिति, बाल सभा, मीना मंच, बाल मंच तथा अन्य इसी तरह की कोई स्थापित व्यवस्था को दमाहित करते हुए स्थापित किये जायेंगे।
- ❖ व्हेब विद्यालय/छात्रावास/गृह में आवासरत् अन्य बच्चों के साथ भी कार्य करेगा ताकि सभी बच्चे व्हेब की गतिविधियों में सम्मिलित हो सकें।

व्हेब में बच्चों द्वारा की जाने वाली गतिविधियाः-

- ❖ व्हेब से जुड़े बच्चों की पहचान एवं परिवर्य व व्हेब की गतिविधियों पर चर्चा करना।
- ❖ प्रत्येक शनिवार के अन्तिम सप्ताह में व्हेब के बच्चों एवं अन्य बच्चों के साथ बाल संरक्षण एवं बाल अधिकार मुद्राओं पर गतिविधियों एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करना।
- ❖ बच्चों से जुड़े महत्वपूर्ण दिवसों यथा- राष्ट्रीय बालिका दिवस (२४ जनवरी), विश्व बालश्रम विरोधी दिवस (१२ जून), शिक्षक दिवस (५ सितम्बर), बाल दिवस (१४ नवम्बर), अन्तर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस (२० नवम्बर) सहित अन्य महत्वपूर्ण दिवस पर विभिन्न गतिविधियों आयोजित करना।

PTD

Scanned by CamScanner

❖ बच्चों को चाईल्ड रिपोर्टर के रूप में तैयार करना।

वलब का संचालन कौन करेगा:-

❖ प्रधानाध्यापक/सचिव/प्रभारी/आमीदाक व अनुभवी स्वयंसेवी संस्था वलब के संचालक होंगे।

बाल सहायता कार्यक्रम संचालन/समीक्षा:- इन नियमों के तहत संस्थाओं में निम्न विभाग क्रियान्वयक अधिकारण के रूप में कार्य करेंगे:-

- ❖ राजकीय असाम गैर राजकीय गृह - बाल अधिकारिता विभाग।
- ❖ राजकीय असाम गैर राजकीय विद्यालय (आवारीय विद्यालय सहित) - स्कूल शिक्षा विभाग।
- ❖ राजकीय असाम गैर राजकीय छात्रावास - स्कूल शिक्षा विभाग/जनजातीय क्लेशीय विकास विभाग/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/ अल्पसंख्यक मानसिक विभाग।
- ❖ समुदाय स्तर पर बाल सहायता गतिविधियाँ - ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।

विद्यालय स्तर पर होने वाले कार्य:-

राज्य के सभी स्तर पर राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में विभिन्न विद्यालयों में निम्न प्रारूप अनुसार चाईल्ड राईट्स वलब का गठन किये जाने का प्रावधान है, जो निम्नानुसार है:-

-:कारालिय आदेश:-

राज्य सकराट द्वारा राजस्थान बाल सहायता दिशा-निर्देश 2014 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बाल अधिकारिता विभाग के आदेश क्रमांक २३५३२ दिनांक १५.०९.२०१४ की अनुपालना में जिले के पंचायत समिति..... के द्वारा पंचायत/राष्ट्र..... में संचालित राजकीय उच्च प्राथमिक/ माध्यमिक/उच्च प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालय/गैर राजकीय विद्यालय का नाम..... में बच्चों में बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता प्रदान करने व बाल सहायता को बढ़ावा देने और उन्हें सामाजि मूल्यों से अवगत कराने तथा विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में समिलित कर उन्हें सशक्ति बनाने हेतु प्राप्त निर्देशानुसार चाईल्ड राईट्स वलब का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

चाईल्ड राईट्स वलब के प्रभारी विवरण:-

क्र.सं	विद्यालय का नाम एवं पता	प्रिसिपल/प्रधानाध्यापक/पीटीआई का नाम	मोबाइल नम्बर	ईमेल	हस्ताक्षर

चाईल्ड राईट्स वलब का विवरण:-

क्र. सं	बच्चे का नाम	गाता एवं पिता का नाम	पिता का साधक नम्बर	लिंग	बच्चे के निवास का पता	जन्म दिनांक	कक्षा

मुमाला ३४८

दिनांक : १६.११.१५

प्रिसिपल/प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर

गोट:- वलब में विद्यालय के द्वारा अनुसार कुल २५ बच्चे हो सकते हैं। इनमें से २५ लक्ष्मी विद्यालय में अपुर्ण पूर्ण रूप से उपलब्ध है। इनमें से २५ लक्ष्मी विद्यालय में अपुर्ण पूर्ण रूप से उपलब्ध है। इनमें से २५ लक्ष्मी विद्यालय में अपुर्ण पूर्ण रूप से उपलब्ध है। इनमें से २५ लक्ष्मी विद्यालय में अपुर्ण पूर्ण रूप से उपलब्ध है।

लाखी दिव्या

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner